[1]पंजाब राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1952

(1952 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 7)

[9 अगस्त, 1952]

कतिपय लाभ के पदों के धारकों को राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न होना घोषित करने के लिए अधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब राज्य विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1952 है ।

(2) यह 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. राज्य विधान-मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता-निवारण---कोई व्यक्ति पंजाब विधान-मंडल का सदस्य चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए केवल इस तथ्य के आधार पर निरर्हित न होगा कि वह भारत सरकार के अधीन या पंजाब राज्य की सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों में से कोई पद धारण करता है, अर्थात् :---

(क) लम्बरदार ;

[1][(ख) उप-रजिस्ट्रार, चाहे वह विभागीय हो या अवैतनिक, नोटरी पब्लिक, शपथ आयुक्त या ऐसा कोई शासकीय रिसीवर जो पूर्णकालिक वैतनिक सरकारी सेवक नहीं है या ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे बीमाकर्ता के अधीन कोई पद धारण करता है जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है;]

[2][(ग) अधिकारी, अनायुक्त अधिकारी और प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 56) के अधीन अभ्यावेशित व्यक्ति ; राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 31) के अधीन अभ्यावेशित व्यक्ति ; तथा रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 62) के अधीन सहायक वायुसेना या वायु रक्षा रिजर्व के व्यक्ति ;]

[3][(गग) पंजाब होमगार्ड अधिनियम, 1947 के अधीन गठित पंजाब होमगार्ड के सदस्य का पद, या भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अधीन गठित समझी जाने वाली सिविल रक्षा सेवा के सदस्य का पद ;]

(घ) अधिकारियों की सेना रिजर्व में अधिकारी ;

(ङ) किसी कानूनी निकाय या प्राधिकारी का सदस्य या [4][संघ सरकार के लिए] पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त या गठित किसी समिति या अन्य निकाय का कोई सदस्य जो वेतन प्राप्त नहीं कर रहा है किन्तु जिसे अपने कर्तव्यों के अनुपालन में केवल यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता संदत्त किया जाता है ;

(च) संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव ;

[5][(छ) उपमंत्री ;]

[6][(ज) 11 जून, 1963 से प्रारम्भ होकर 7 नवम्बर, 1963 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अस्थाई रूप से बनाया गया सलाहकार और समन्वयक (प्रतिषेध) का पद और राज्य सरकार सहकारिता विभाग या किसी अन्य विभाग में अवैतनिक सलाहकार का पद ;]

[7]* * * * * *

3. निरसन---पंजाब विधान सभा (निरर्हताओं का हटाया जाना) अधिनियम, 1937 और पंजाब अंतःकालीन विधान सभा (निरर्हताओं का हटाया जाना) अधिनियम, 1950, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

---

[1] 1957 के पंजाब अधिनियम सं0 33 की अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 1956 के पंजाब अधिनियम सं0 41 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित, इसके पूर्व 1954 के पंजाब अधिनियम सं0 7 द्वारा इसे संशोधित किया गया था ।

[3] 1963 के पंजाब अधिनियम सं0 3 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1981 के पंजाब अधिनियम सं0 23 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 1956 के पंजाब अधिनियम सं0 25 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

[6] 1964 के पंजाब अधिनियम सं0 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

[7] पंजाब विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा धारा 2क का, जिसे 1960 के पंजाब अधिनियम सं0 40 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, लोप किया गया ।